R.M.M. Law College.

Saharsa

2.11.20

Paper-9

Amrendra Kumar Trived. IST Part

Part-Time Law Teacher

Subject- International Law

अन्तर्राष्ट्रीय विधि —

सिर्फ राष्ट्र ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि का विषय है, चूंकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रों के आचरण को नियंत्रित करती है। ओपेनहीम विधि शास्त्री ने भी कहा कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रों की सहमति पर आधारित है। अतः राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय विधि राष्ट्रों के सहमति पर आधारित है। उनका कहना है कि राष्ट्र ही ऐसा बिन्दु है, जिसके चारो ओर अन्तर्राष्ट्रीय विधि का चक्र घूमता रहता है। राष्ट्र ही अन्तर्राष्ट्रीय विधि का व्यक्तित्व की श्रेणी में आता है और अन्तर्राष्ट्रीय विधि का प्रयोग करता है,

परन्तु दूसरे आधुनिक विद्वान का कहना है कि अन्तर्राष्ट्रीय विधि केवल कल्पना है क्योंकि राष्ट्र के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के अधिकार और कर्तव्य राष्ट्रवासी के अधिकार कर्तव्य माने जाते है क्योंकि व्यक्तियों से बना राष्ट्र और राष्ट्र के अंदर रहने वाले लोगों पर यह कानून लागू होता है जबकि सच्चाई यह कि गैर राज्य इकाईयां तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी अन्तर्राष्ट्रीय विधि का

किया है। क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन
करना किसी भी राष्ट्र को महंगा पड़ता है।
कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के प्रति विरोध
प्रतिकूल व्यवहार करता है।

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के आधार के लिए
राष्ट्रों की पारस्परिक निर्भरता ही अन्तर्राष्ट्रीय
विधि के विकास के लिए उत्तरदायी
है। वैज्ञानिक और आविष्कारों के चलते
एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के काफी
नजदीक हो गये हैं, एक राष्ट्र आत्मनिर्भर
होने के कारण विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे
पर आश्रित होते हैं।
एक दूसरे से मेल रखना उनकी मजबूरी है।